राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक.प्रक./पार्ट–II/2010 जयपुर, दिनांकः–

10 FEB 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली ग्रेवल सड़कों में प्रतिवर्ष होने वाले सम्भावित क्षरण बाबत।
संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 03.11.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली ग्रेवल सड़कों में प्रतिवर्ष 5 से 10 प्रतिशत (अधिकतम) कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई तक अनुमत किया गया था जिसके आंकलन/निर्णय हेतु जिले के सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को अधिकृत किया गया था।

विभिन्न जिलों के आन्तरिक अंकेक्षण दलों, सरपंच गणों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मांग की जा रही है कि प्रतिशत के आधार पर क्षरण की गणना नहीं कर ग्रेवल की कुटी हुई मोटाई अनुसार गणना की जावे। तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या 17 अनुसार ग्रेवल/क्वारी रबिश की बिछाई 20 सेमी मोटाई में होगी जो कूटने के बाद 15 सेमी रहेगी। अतः इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 03.11.2011 के अधिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

(i) एम.बी. में दर्ज माप के अनुसार ग्रेवल सड़क में कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई (Compacted Thickness) में प्रतिवर्ष क्षरण अधिकतम 1.0 सेमी अनुमत किया जा सकता है। यह 1.0 सेमी क्षरण उन्हीं ग्रेवल सड़कों में अनुमत किया जावे जिनमें कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई 15 सेमी हो।

(ii) यदि कुटी हुई ग्रेवल सड़क की मोटाई 15 सेमी से कम एवं 10 सेमी से अधिक है तो क्षरण अधिकतम 1.0 सेमी मानते हुए उसी अनुपात में कम करते हुए गणना की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि कुटी हुई सड़क की मोटाई 10 सेमी है तो क्षरण प्रतिवर्ष 0.70 सेमी अनुमत किया जा सकता है।

(iii) यदि कुटी हुई ग्रेवल सड़क की मोटाई 10 सेमी से कम है तो उक्त सड़क निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का क्षरण अनुमत नहीं किया जावे।

(iv) क्षरण की गणना ग्रेवल सड़क कार्य के पूर्ण होने की तिथि से की जायेगी। यदि पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है तो इस प्रमाण–पत्र में वर्णित कार्य पूर्ण होने की तिथि को कार्य पूर्ण होने की तिथि माना जावे। यदि पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी नहीं हुआ है या उसमें कार्य पूर्ण होने की तिथि का अंकन नहीं है तो एम.बी. में दर्ज अन्तिम माप, अन्तिम मस्टररोल, कार्यकारी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण कर हिसाब अन्तिम रूप से प्रस्तुत करने एवं अन्तिम भुगतान तिथि के आधार पर कार्य पूर्ण होने की तिथि का निर्धारण किया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करावें।

भवदीय,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस.।
4. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति श्रीमान् जिला प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी विकास अधिकारी एवं सभी सरपंच गण को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य अभियन्ता (एस.एस.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड़, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (अभियांत्रिकी), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस